



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 31, 2012/ज्येष्ठ 10, 1934

No. 248]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 31, 2012/JYAISTHA 10, 1934

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2012

सा.का.नि. 411(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (केन्द्रीय सरकार की) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (केन्द्रीय सरकार की कंपनियों) साधारण नियम और प्ररूप, (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (केन्द्रीय सरकार की कंपनियों) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 के उपबंध 'क' के प्ररूप 23 क, ख के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

" प्ररूप संख्या 23कख

(नियम 7क देखें)

धारा 219 (ख) (iv) के अनुसार तुलन पत्र और लाभ तथा हानि लेखे के संक्षिप्त लक्षणों को अंतर्विष्ट करने वाला विवरण

संक्षिप्त वित्तीय विवरणों का प्ररूप

कंपनी का नाम.....

को संक्षिप्त तुलन पत्र (..... रूपए)

क्रम संख्या	विशिष्टियां	चालू रिपोर्ट अवधि (दिन/मास/वर्ष)	पूर्ववर्ती रिपोर्ट अवधि (दिन/मास/वर्ष)
1.	साम्या और दायित्व		
(1)	शेयर धारकों की निधियां		
(क)	संदत शेयरपूजी		
	(i) साम्या		

	(ii) अधिमान		
(ख)	आरक्षितियां और अधिशेष		
	(i) पूंजी आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती सहित, यदि कोई हो)		
	(ii) राजस्व आरक्षितियां		
	(iii) अधिशेष		
(ग)	शेयर वारंटों के लिए आरक्षित धन		
(2)	आबंटन के लंबन के दौरान शेयर आवेदन धन		
(3)	गैर चालू दायित्व		
(क)	दीर्घ अवधि उधार		
(ख)	स्थगित कर दायित्व (शुद्ध)		
(ग)	अन्य दीर्घ अवधि दायित्व		
(घ)	दीर्घ अवधि उपबंध		
(4)	चालू दायित्व		
(क)	लघु अवधि उधार		
(ख)	व्यापार संदेय		
(ग)	अन्य चालू दायित्व		
(घ)	लघु अवधि उपबंध		
	(1) से (4) का योग		
II	आस्तियां		
(5)	गैर चालू आस्तियां		
(क)	नियत आस्तियां		
(i)	मूर्त आस्तियां (मूल लागत घटा अवक्षयण)		
(ii)	अमूर्त आस्तियां (मूल लागत घटा अवक्षयण/अपाकरण)		
(iii)	चालू पूंजी कार्य		
(iv)	विकासाधीन अमूर्त आस्तियां		
(ख)	गैर चालू विनिधान		
(ग)	आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)		
(घ)	दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम		
(ङ)	अन्य गैर चालू आस्तियां		
(6)	चालू आस्तियां		
(क)	चालू विनिधान		

(ख)	तालिका		
(ग)	व्यापार अभिप्राय		
(घ)	रोकड़ और रोकड़ समतुल्य		
(ङ)	लघु अवधि ऋण और अग्रिम		
(च)	अन्य चालू आस्तियां		
	(5) से (6) का योग		

टिप्पण : कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार पूर्ण तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण, अन्य विवरण और उन पर टिप्पण कंपनी के वेबसाइट लिंक पर उलब्ध हैं।

..... को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए संक्षिप्त लाभ और हानि लेखा

क्रम सं.	विशिष्टियां	चालू रिपोर्ट अवधि के लिए आंकड़े (दिन/मास/वर्ष)	पूर्ववर्ती रिपोर्ट अवधि के लिए आंकड़े (दिन/मास/वर्ष)
I	आय		
	प्रचालनों से राजस्व (* के अनुसार दिए जाने वाले ब्यौरे)		
	घटायें : उत्पाद शुल्क		
	प्रचालनों से शुद्ध राजस्व		
II	अन्य आय (टिप्पण 5 देखें)		
III	कुल आय (I+II)		
IV	व्यय		
(क)	उपभोग की गई सामग्रियों की लागत		
(ख)	व्यापार स्टॉक का क्रय		
(ग)	तैयार माल, चालू कार्य और व्यापार स्टॉक की तालिका में परिवर्तन		
(घ)	कर्मचारी अभिलाभ व्यय		
(ङ)	वित्तीय लागत		
(च)	अवक्षयण और अपाकरण व्यय		
(छ)	अन्य व्यय (टिप्पण 5 देखें)		
	कुल व्यय (क) से (छ)		
V	अपवादी और असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (III - IV)		
VI	अपवादी मदें		
VII	असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (V+VI)		
VIII	असाधारण मदें		

IX	कर से पूर्व लाभ/(हानि) (VII±VIII)		
X	1. कर व्यय		
	2. आस्थगित व्यय		
XI	कर के पश्चात् वर्ष के लिए सतत प्रचालनों से लाभ/(हानि) (IX±X)		
XII	असतत प्रचालनों से लाभ/(हानि)		
XIII	असतत प्रचालनों का कर व्यय		
XIV	असतत प्रचालनों से (कर के पश्चात्) लाभ/(हानि) (XII±XIII)		
XV	वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (XI+XIV)		
XVI	प्रति साम्या शेयर पर अर्जन		
	(क) आधारी		
	(ख) तनुकृत		

* प्रचालनों से राजस्व के ब्यौरे

क) किसी वित्तीय कंपनी से भिन्न कंपनी के संबंध में प्रचालनों से राजस्व का प्रकटन निम्नानुसार किया जाएगा :

क्रम सं.	विशिष्टियां	चालू वित्तीय रिपोर्ट अवधि के लिए आंकड़े (दिन/मास/वर्ष)	पूर्ववर्ती वित्तीय रिपोर्ट अवधि के लिए आंकड़े (दिन/मास/वर्ष)
I	विनिर्मित उत्पादों का विक्रय		
II	व्यापार किए गए मालों का विक्रय		
III	दी गई सेवाओं से राजस्व		
IV	अन्य प्रचालन राजस्व		

ख) किसी वित्तीय कंपनी की दशा में प्रचालनों से राजस्व का प्रकटन निम्नानुसार किया जाएगा :

(क) ब्याज से राजस्व ; और

(ख) अन्य वित्तीय सेवाओं से राजस्व

संक्षिप्त तुलन पत्र और संक्षिप्त लाभ और हानि लेखे पर टिप्पण

1. यहां उपदर्शित की जाने वाली रकम अनुसूची 6के अनुसार वित्तीय विवरणों में तत्स्थानी समग्र शीर्षों में उपदर्शित रकम या उससे निकटतम यथा संभव सीमा तक होनी चाहिए ।
2. आकस्मिक दायित्वों और बाध्यताओं की कुल रकम को पृथक्तः उपदर्शित किया जाना चाहिए ।
3. अनुसूची 6 के अनुसार वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली सभी टिप्पणियों जिनपर लेखा परीक्षकों द्वारा विशेष ध्यान दिलाया गया है या जो लेखा परीक्षकों द्वारा अर्हता की विषयवस्तु बनती हैं को पुनः रखा जाना चाहिए ।

4. यदि नियत आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन की रकम को, पुनर्मूल्यांकन की तारीख से पहले पश्चात्पूर्ती पांच वर्षों के लिए पृथक्त्तः उपदर्शित किया जाएगा ।
5. कोई मद जो आय या व्यय का बीस प्रतिशत या उससे अधिक है (उपबंधों सहित) को पृथक्त्तः उपदर्शित किया जाना चाहिए ।
6. कोई रकम, यदि तात्त्विक है जिससे लाभ और हानि लेखे में उपदर्शित किसी मद पर लेखांकन नीति में परिवर्तन से कोई प्रभाव पड़ता है को पृथक्त्तः उपदर्शित किया जाना चाहिए ।
7. टिप्पणियों में निम्नलिखित से संबंधित संपूर्ण वित्तीय विवरणों में अंतर्विष्ट टिप्पणियां, यदि कोई हों शामिल की जाएंगी:
- (क) तुलन पत्र की तारीख को ऋण और ब्याज की पुनःअदायगी के व्यतिक्रम की अवधि और रकम
- (ख) रिपोर्ट की अवधि के दौरान सामामेलन, अर्जन, पुनर्गठन और अविलयन
- (ग) चालू समुत्थान को प्रभावित करने वाली तात्त्विक घटनाएं
- (घ) कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन संचालित या आदेश किया गया अन्वेषण और निरीक्षण
- (ङ) रिपोर्ट की अवधि के दौरान किसी विधि की अनुपालना
- (च) प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण समझा गया कोई टिप्पण
8. कोट किए गए विनिधानों (दोनों चालू वर्ष के साथ साथ पूर्ववर्ती वर्ष के लिए भी) के लेखा बही मूल्य और बाजार मूल्य का वर्णन किया जाए
9. संक्षिप्त तुलन पत्र में टिप्पणों को वही संख्या दी जाए जैसी कि मुख्य तुलन पत्र में है ।
10. संबंधित पक्षकार संव्यवहार का प्रकटन, कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के अधीन अधिसूचित लेखांकन मानक (एएस) 18, संबंधित पक्षकार प्रकटन के अनुसार किया जाएगा ।
11. रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों के ब्यौरों का प्रकटन निम्नानुसार किया जाएगा :
- (क) बैंकों के पास शेष;
- (ख) हाथ में चेक, ड्राफ्ट ;
- (ग) हाथ में नकद ;
- (घ) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें) ।
12. कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के अधीन यथा अधिसूचित लेखांकन मानक (एएस) 3 के अनुसार, जब भी अपेक्षित हो, रोकड़ प्रवाह विवरण के साथ संक्षिप्त रोकड़ प्रवाह विवरण भी शामिल किया जाएगा ।

संक्षिप्त रोकड़ प्रवाह विवरण

	चालू रिपोर्ट अवधि के लिए आकड़े	पूर्ववर्ती रिपोर्ट अवधि के लिए आकड़े
1. प्रचालन कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह		
2. विनिधान कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह		
3. वित्तीय कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह		
4. रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)		

5. अवधि के प्रारंभ में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य		
6. अवधि के अंत में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य		

13. खंड राजस्व, नियोजित खंड पूंजी (खंड आस्तियां घटा खंड दायित्व) और कारबार खंड या भौगोलिक खंड के लिए खंड परिणाम, इनमें से जो भी उद्यम की खंड रिपोर्टिंग के लिए प्राथमिक आधार हो, (खंड सूचना का प्रकटन केवल तभी किया जाएगा जब कंपनी से, कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के अधीन यथा अधिसूचित लेखांकन मानक (एएस) 17 खंड रिपोर्टिंग के निबंधनों के अनुसार उसके वार्षिक वित्तीय विवरणों में खंड सूचना के प्रकटन की अपेक्षा हो)

14. पूर्णांकन का स्तर बही होना चाहिए जो कि मुख्य तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखे में है।

15. जहां अधिनियम की अपेक्षाओं की अनुपालना जिसमें कंपनियों को यथा लागू लेखांकन मानक भी शामिल हैं वित्तीय विवरणों या उसके भागरूप विवरणों के शीर्ष/उपशीर्ष या परस्पर उपचार में किसी परिवर्तन या वर्धन, संशोधन, प्रतिस्थापन या लोपन की अपेक्षा करते हैं तो ऐसा किया जाएगा।

तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखे के मुख्य लक्षणों को उसी प्रकार प्राधिकृत किया जाना चाहिए जैसे कि मुख्य वित्तीय विवरणों को किया जाता है।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

- कानूनी लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट भारत का चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एसए) 810 संक्षिप्त विवरणों को लागू करना, के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी। असंक्षिप्त वित्तीय विवरणों पर भी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट दी जाएगी।

निदेशक की रिपोर्ट

- निदेशक की रिपोर्ट के मुख्य लक्षणों का प्रकटन किया जाएगा।

अनुषंगी कंपनी/कंपनियां : प्रत्येक धृति कंपनी अपनी अनुषंगी कंपनी/कंपनियों से संबंधित एक विवरण धारा 212 की उपधारा (1) के खंड (ड), खंड (च) और खंड (छ) के अनुसरण में प्रस्तुत करेगी।

धारा 215(1) में विहित रीति में (निदेशक/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित)

[फा. सं. 17/51/2012-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 432 (अ) तारीख 18 जनवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गई थी :-

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	अधिसूचना की तारीख
1.	कानिआ 2535	1.11.1956
2.	कानिआ 3135	21.12.1956

3.	कानिआ 237	19.1.1957
4.	कानिआ 2105	29.1.1957
5.	कानिआ 3038	28.9.1957
6.	कानिआ 3867	7.12.1957
7.	सा.का. नि 48	22.2.1958
8.	सा.का. नि 723	23.8.1958
9.	सा.का. नि 750	30.8.1958
10.	सा.का. नि 1026	1.11.1958
11.	सा.का. नि 14	3.1.1959
12.	सा.का. नि 548	9.5.1959
13.	सा.का. नि 1140	17.10.1959
14.	सा.का. नि 1224	7.11.1959
15.	सा.का. नि 1364	12.12.1959
16.	सा.का. नि 220	27.2.1960
17.	सा.का. नि 595	28.5.1960
18.	सा.का. नि 195	18.2.1961
19.	सा.का. नि 814	24.6.1961
20.	सा.का. नि 1105	09.09.1961
21.	सा.का. नि 1408	25.11.1961
22.	सा.का. नि 653	12.05.1962
23.	सा.का. नि 344	02.03.1963
24.	सा.का. नि 628	13.4.1963
25.	सा.का. नि 97	16.1.1965
26.	सा.का. नि 822	12.6.1965
27.	सा.का. नि 1570	30.10.1965
28.	सा.का. नि 368	19.3.1966
29.	सा.का. नि 421	18.3.1966
30.	सा.का. नि 499	9.4.1966
31.	सा.का. नि 743	21.5.1966
32.	सा.का. नि 847	4.6.1966
33.	सा.का. नि 1266	13.8.1966
34.	सा.का. नि 130	20.1.1968
35.	सा.का. नि 667	30.6.1973
36.	सा.का. नि 327(अ)	10.6.1975
37.	सा.का. नि 414(अ)	16.7.1975
38.	सा.का. नि 2596	1.11.1975
39.	सा.का. नि 2828	13.12.1975
40.	सा.का. नि 154	31.1.1976
41.	सा.का. नि 248(अ)	24.3.1976
42.	सा.का. नि 627	14.5.1977
43.	सा.का. नि 24(अ)	9.1.1979

44.	सा.का. नि 1256	6.10.1979
45.	सा.का. नि 555(अ)	4.9.1982
46.	सा.का. नि 479(अ)	22.4.1988
47.	सा.का. नि 694(अ)	10.6.1988
48.	सा.का. नि 782(अ)	13.7.1988
49.	सा.का. नि 908(अ)	7.9.1988
50.	सा.का. नि 1032(अ)	26.10.1988
51.	सा.का. नि 449 (अ)	17.4.1989
52.	सा.का. नि 510(अ)	24.5.1990
53.	सा.का. नि 795(अ)	18.9.1990
54.	सा.का. नि 289(अ)	31.5.1991
55.	सा.का. नि 614(अ)	3.10.1991
56.	सा.का. नि 754(अ)	26.12.1991
57.	सा.का. नि 312(अ)	6.3.1992
58.	सा.का. नि 353(अ)	26.3.1992
59.	सा.का. नि 484(अ)	11.5.1992
60.	सा.का. नि 581 (अ)	27.8.1993
61.	सा.का. नि 621 (अ)	24.9.1993
62.	सा.का. नि 286(अ)	1.3.1994
63.	सा.का. नि 598(अ)	28.7.1994
64.	सा.का. नि 697(अ)	20.9.1994
65.	सा.का. नि 283(अ)	21.3.1995
66.	सा.का. नि 424(अ)	26.5.1995
67.	सा.का. नि 251(अ)	21.6.1996
68.	सा.का. नि 97(अ)	28.2.1997
69.	सा.का. नि 126(अ)	1.3.1997
70.	सा.का. नि 16(अ)	6.1.1999
71.	सा.का. नि 23(अ)	12.1.1999
72.	सा.का. नि 130(अ)	23.2.1999
73.	सा.का. नि 788(अ)	29.11.1999
74.	सा.का. नि 58(अ)	17.1.2000
75.	सा.का. नि 363 (अ)	27.4.2000
76.	सा.का. नि 638(अ)	26.7.2000
77.	सा.का. नि 836(अ)	24.10.2000
78.	सा.का. नि 24(अ)	15.01.2001
79.	सा.का. नि 35(अ)	24.01.2001
80.	सा.का. नि 51(अ)	31.01.2001
81.	सा.का. नि 96(अ)	14.02.2001
82.	सा.का. नि 330(अ)	07.05.2002
83.	सा.का. नि 5(अ)	03.01.2003

84.	सा.का. नि 479(अ)	12.06.2003
85.	सा.का. नि 580(अ)	24.07.2003
86.	सा.का. नि 56(अ)	10-02-2006
87.	सा.का. नि 555(अ)	14-09-2006
88.	सा.का. नि 399 (अ)	30-05-2007
89.	सा.का. नि 500 (अ)	24-07-2007
90.	सा.का. नि 720(अ)	16-11-2007
91.	सा.का. नि 655(अ)	12-09-2008
92.	सा.का. नि 788(अ)	14-11-2008
93.	सा.का. नि 824(अ)	28-11-2008
94.	सा.का. नि 835(अ)	04-12-2008
95.	सा.का. नि 868(अ)	22-12-2008
96.	सा.का. नि 872(अ)	23-12-2008
97.	सा.का. नि 876(अ)	24-12-2008
98.	सा.का. नि 183(अ)	20-03-2009

99.	सा.का. नि 257(अ)	17-04-2009
100.	सा.का. नि 284(अ)	24-04-2009
101.	सा.का. नि 643(अ)	07-09-2010
102.	सा.का. नि 649(अ)	08-09-2010
103.	सा.का. नि 78 (अ)	10-02-2011
104.	सा.का. नि 259(अ)	26-03-2011
105.	सा.का. नि 351(अ)	29-04-2011
106.	सा.का. नि 407(अ)	26-05-2011
107.	सा.का. नि 408(अ)	26-05-2011
108.	सा.का. नि 514(अ)	07-07-2011
109.	सा.का. नि 533(अ)	14-07-2011
110.	सा.का. नि 618(अ)	10-08-2011
111.	सा.का. नि 716(अ)	23-09-2011
112.	सा.का. नि 749(अ)	05-10-2011
113.	सा.का. नि 313(अ)	24-04-2012

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2012

G.S.R. 411(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Central Government's) General Rules and Forms (Amendment) Rules, 2012.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, in Annexure 'A', for Form 23AB, the following Form shall be substituted, namely:—

"FORM NO. 23AB

(See Rule 7A)

Statement containing salient features of Balance Sheet and Profit and Loss Account as per section 219(1) (b) (iv)

Form of Abridged Financial Statements

Name of the Company

Abridged Balance Sheet as at		(Rupees in)	
Sr No.	Particulars	Figures at the end of	
		Current reporting period (DD/MM/YY)	Previous reporting period (DD/MM/YY)
	I EQUITY AND LIABILITIES		
(1)	Shareholders' funds		
(a)	Paid-up Share Capital		
	(i) Equity		
	(ii) Preference		
(b)	Reserves and surplus		
	(i) Capital Reserves (including Revaluation Reserve, if any);		
	(ii) Revenue Reserves;		
	(iii) Surplus		
(c)	Money received against share warrants		
(2)	Share application money pending allotment		
(3)	Non-current liabilities		
(a)	Long-term borrowings		
(b)	Deferred tax liabilities (Net)		
(c)	Other Long-term liabilities		
(d)	Long-term provisions		
(4)	Current liabilities		
(a)	Short-term borrowings		
(b)	Trade Payables		
(c)	Other Current Liabilities		
(d)	Short-term provisions		
	Total of (1) to (4)		
	II ASSETS		
(5)	Non-current assets		
(a)	Fixed assets		
	(i) Tangible Assets(Original cost less depreciation)		
	(ii) Intangible Assets (Original cost less depreciation/amortisation)		
(iii)	Capital work-in-progress		
(iv)	Intangible assets under development		
(b)	Non-current investments		
(c)	Deferred tax assets (net)		
(d)	Long-term loans and advances		
(e)	Other Non-Current Assets		
(6)	Current assets		
(a)	Current investments		
(b)	Inventories		
(c)	Trade Receivables		
(d)	Cash and cash equivalents		

- (e) Short-term loans and advances
 (f) Other current assets
Total of (5) to (6)

Note : Complete Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, other statements and notes thereto prepared as per the requirements of Schedule VI to the Companies Act, 1956 are available at the Company's website at link _____

Abridged Profit and Loss Account for the year ended on

(Rupees in....)

S.No.	Particulars	Figures for the current reporting period(DD/MM/YY)	Figures for the previous reporting period(DD/MM/YY)
I.	Income		
	Revenue from Operations (Details to be given as per*)		
	Less: Excise duty		
	Net Revenue from Operations		
II	Other Income (See Note 5)		
III	Total Income (I + II)		
IV	Expenditure		
(a)	Cost of materials consumed		
(b)	Purchase of stock-in-trade		
(c)	Changes in inventories of finished goods, work- in- progress and stock- in- trade		
(d)	Employee benefits expense		
(e)	Finance costs		
(f)	Depreciation and amortisation expense		
(g)	Other expenses (See Note 5)		
	Total Expenditure (a to g)		
V	Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III –IV)		
VI	Exceptional items		
VII	Profit before extraordinary items and tax (V±VI)		
VIII	Extraordinary items		
IX	Profit / (loss) before tax (VII±VIII)		
X	1.Tax expense 2.Deferred tax		
XI	Profit / (loss) after tax for the year from continuing operations (IX-X)		
XII	Profit / (loss) from discontinued operations		
XIII	Tax expenses of discontinued operations		

XIV	Profit / (loss) from discontinued operations (after tax) (XII-XIII)		
XV	Profit / (loss) for the year (XI+XIV)		
XVI	Earnings per equity share: (a) Basic (b) Diluted		

*** Details of Revenue from Operations:**

a) In respect of a company other than a finance company revenue from operations shall be disclosed as under:

(Rupees in....)

S.No.	Particulars	<i>Figures for the current financial reporting period (DD/MM/YY)</i>	<i>Figures for the previous financial reporting period (DD/MM/YY)</i>
I.	Sale of products manufactured		
II	Sale of goods traded		
III.	Revenue from services provided		
IV.	Other Operational Revenue		

b) In respect of a finance company, revenue from operations shall be disclosed as under:

- (a) Revenue from Interest; and
- (b) Revenue from Other financial services

NOTES TO THE ABRIDGED BALANCE SHEET AND THE ABRIDGED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

1. The amounts to be shown here should be the same as shown in the corresponding aggregated heads in the financial statements as per Schedule VI or as near thereto as possible.
2. The total amount of contingent liabilities and that of commitments should be shown separately.
3. All notes forming part of the financial statements as per Schedule VI to which specific attention has been drawn by the auditors or which form a subject matter of qualification by the auditor should be reproduced.
4. If fixed assets are revalued, the amount of revaluation to be shown separately for the first five years subsequent to the date of revaluation.
5. Any item which constitutes 20% or more of the total income or expenditure (including provisions) should be shown separately.
6. Amount, if material, by which any item shown in the profit and loss Account are affected by any change in the accounting policy, should be disclosed separately.

7. Notes shall include the notes, if any, contained in the complete financial statements pertaining to the following:
- Period and amount of defaults on the balance sheet date in repayment of loans and interest.
 - Amalgamations, acquisitions, restructurings and demergers during the reporting period.
 - Material events affecting the going concern assumption.
 - Investigation and inspection conducted or ordered under the provisions of Companies Act, 1956.
 - Non-compliance with any law during the reporting period.
 - Any other note considered significant by the management.
8. Book Value and Market value of Quoted Investments (both for current year as also previous year) be mentioned.
9. Notes in the abridged balance sheet should be given the same number as in the main balance sheet.
10. Disclosure of Related Party Transaction shall be made in terms of the requirements of Accounting Standard (AS) 18, *Related Party Disclosures*, notified under Companies (Accounting Standards) Rules, 2006.
- 11. Details of Cash and Cash Equivalents shall be disclosed as follows:**
- Balances with banks;
 - Cheques, drafts on hand;
 - Cash in hand;
 - Others (specify nature)
12. In terms of Accounting Standard (AS) 3, Cash Flow Statement, wherever required, as notified under Companies (Accounting Standards) Rules 2006, the following abridged Cash Flow Statement shall be included:

Abridged Cash Flow Statement

	Figures for the current reporting period	Figures for the previous reporting period
1. Cash flows from operating activities		
2. Cash flows from investing activities		
3. Cash flows from financing activities		
4. Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents		
5. Cash and cash equivalents at beginning of period		
6. Cash and cash equivalents at end of period		

13. Segment revenue, segment capital employed (segment assets minus segment liabilities) and segment result for business segments or geographical segments, whichever is the enterprise's primary basis of segment reporting (disclosure of segment information shall be presented) only if the company is required, in terms of Accounting Standards (AS) 17, Segment Reporting, as notified under Companies (Accounting Standards) Rules 2006 to disclose segment information in its annual financial statements;
14. Level of rounding off should be the same as in the main balance sheet and the profit and loss account.
15. Where compliance with the requirements of the Act including Accounting Standards as applicable to the companies require any change in treatment or disclosure including addition, amendment, substitution or deletion in the head/subhead or any changes *inter se*, in the financial statements or statements forming part thereof, the same shall be made.

The above stated salient features of the Balance Sheet and the Profit and Loss Account should be authenticated in the same manner as the Main financial statements.

AUDITOR'S REPORT

- Auditor's Report shall be submitted by the statutory auditors in accordance with the Standard on Auditing (SA) 810, Engagements to Report on Summary Financial Statements, issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Auditor's report on unabridged financial statements shall also be given.

DIRECTORS' REPORT

- Salient features of Director's Report shall be disclosed.

Subsidiary Company / companies: Every holding company shall attach a statement relating to its subsidiary company / companies to be furnished in pursuance of clauses (e), (f) and (g) of sub-section (1) of section 212.

(Signed by Directors/Secretary)
in the manner prescribed in section 215(1)."

[F. No. 17/51/2012-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 432(E) dated the 18th January, 1956 and subsequently amended vide the following notifications:-

1955 GI/12-4

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	SRO 2535	1.11.1956
2.	SRO 3135	21.12.1956
3.	SRO 237	19.1.1957
4.	SRO 2105	29.1.1957
5.	SRO 3038	28.9.1957
6.	SRO 3867	7.12.1957
7.	GSR 48	22.2.1958
8.	GSR 723	23.8.1958
9.	GSR 750	30.8.1958
10.	GSR 1026	1.11.1958
11.	GSR 14	3.1.1959
12.	GSR 548	9.5.1959
13.	GSR 1140	17.10.1959
14.	GSR 1224	7.11.1959
15.	GSR 1364	12.12.1959
16.	GSR 220	27.2.1960
17.	GSR 595	28.5.1960
18.	GSR 195	18.2.1961
19.	GSR 814	24.6.1961
20.	GSR 1105	09.09.1961
21.	GSR 1408	25.11.1961
22.	GSR 653	12.05.1962
23.	GSR 344	02.03.1963
24.	GSR 628	13.4.1963
25.	GSR 97	16.1.1965
26.	GSR 822	12.6.1965
27.	GSR 1570	30.10.1965
28.	GSR 368	19.3.1966
29.	GSR 421	18.3.1966
30.	GSR 499	9.4.1966
31.	GSR 743	21.5.1966
32.	GSR 847	4.6.1966
33.	GSR 1266	13.8.1966
34.	GSR 130	20.1.1968
35.	GSR 667	30.6.1973
36.	GSR 327(E)	10.6.1975
37.	GSR 414(E)	16.7.1975
38.	GSR 2596	1.11.1975
39.	GSR 2828	13.12.1975
40.	GSR 154	31.1.1976
41.	GSR 248(E)	24.3.1976
42.	GSR 627	14.5.1977

43.	GSR 24(E)	9.1.1979
44.	GSR 1256	6.10.1979
45.	GSR 555(E)	4.9.1982
46.	GSR 479(E)	22.4.1988
47.	GSR 694(E)	10.6.1988
48.	GSR 782(E)	13.7.1988
49.	GSR 908(E)	7.9.1988
50.	GSR 1032(E)	26.10.1988
51.	GSR 449 (E)	17.4.1989
52.	GSR 510(E)	24.5.1990
53.	GSR 795(E)	18.9.1990
54.	GSR 289(E)	31.5.1991
55.	GSR 614(E)	3.10.1991
56.	GSR 754(E)	26.12.1991
57.	GSR 312(E)	6.3.1992
58.	GSR 353(E)	26.3.1992
59.	GSR 484(E)	11.5.1992
60.	GSR 581 (E)	27.8.1993
61.	GSR 621 (E)	24.9.1993
62.	GSR 286(E)	1.3.1994
63.	GSR 598(E)	28.7.1994
64.	GSR 697(E)	20.9.1994
65.	GSR 283(E)	21.3.1995
66.	GSR 424(E)	26.5.1995
67.	GSR 251(E)	21.6.1996
68.	GSR 97(E)	28.2.1997
69.	GSR 126(E)	1.3.1997
70.	GSR 16(E)	6.1.1999
71.	GSR 23(E)	12.1.1999
72.	GSR 130(E)	23.2.1999
73.	GSR 788(E)	29.11.1999
74.	GSR 58(E)	17.1.2000
75.	GSR 363 (E)	27.4.2000
76.	GSR 638(E)	26.7.2000
77.	GSR 836(E)	24.10.2000
78.	GSR 24(E)	15.01.2001
79.	GSR 35(E)	24.01.2001
80.	GSR 51(E)	31.01.2001
81.	GSR 96(E)	14.02.2001
82.	GSR 330(E)	07.05.2002
83.	GSR 5(E)	03.01.2003
84.	GSR 479(E)	12.06.2003
85.	GSR 580(E)	24.07.2003

86.	GSR 56(E)	10-02-2006
87.	GSR 555(E)	14-09-2006
88.	GSR 399 (E)	30-05-2007
89.	GSR 500 (E)	24-07-2007
90.	GSR 720(E)	16-11-2007
91.	GSR 655(E)	12-09-2008
92.	GSR 788(E)	14-11-2008
93.	GSR 824(E)	28-11-2008
94.	GSR 835(E)	04-12-2008
95.	GSR 868(E)	22-12-2008
96.	GSR 872(E)	23-12-2008
97.	GSR 876(E)	24-12-2008
98.	GSR 183(E)	20-03-2009
99.	GSR 257(E)	17-04-2009

100.	GSR 284(E)	24-04-2009
101.	GSR 643(E)	07-09-2010
102.	GSR 649(E)	08-09-2010
103.	GSR 78 (E)	10-02-2011
104.	GSR 259(E)	26-03-2011
105.	GSR 351(E)	29-04-2011
106.	GSR 407(E)	26-05-2011
107.	GSR 408(E)	26-05-2011
108.	GSR 514(E)	07-07-2011
109.	GSR 533(E)	14-07-2011
110.	GSR 618(E)	10-08-2011
111.	GSR 716(E)	23-09-2011
112.	GSR 749(E)	05-10-2011
113.	GSR 313(E)	24-04-2012

